15.07.2025:–पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी वकील मूल वादपत्र अदम अदम पैरवी/अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना–पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से [illegible] की जाकर बाद तस्बीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2025.09.03 17:27:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़